अध्याय
06

राजनीतिक दल

सीखने के प्रतिफल:-

इस अध्याय में विद्यार्थी भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे।

राजनीतिक दल का अर्थ

राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं ।

वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने की दृष्टि से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं।

© JCERT not to be republished

राजनीतिक दल के कार्य

- राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं।
- राजनीतिक दल लोगों की विभिन्न समस्याओं को सरकार से अवगत कराते हैं।
- यह देश की कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है।
- मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
- दल ही सरकार बनाती है और दल के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार ही सरकार चलती है।
- चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं।
- विपक्षी दल सरकार की गलत नीति एवं असफलताओं की आलोचना कर आम जनता को सरकार के खिलाफ गोलबंद करते हैं।

राजनीतिक दल की जरूरत क्यों?

- राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है।
- अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे।
- दल के बिना निर्दलीय सरकार नीतिगत या वृहद स्तर पर बदलाव की स्थिति में नहीं होगी और निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही ध्यान देंगे।
- राजनीतिक दल नहीं होगी तो, देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।

© JCERT not to be republished

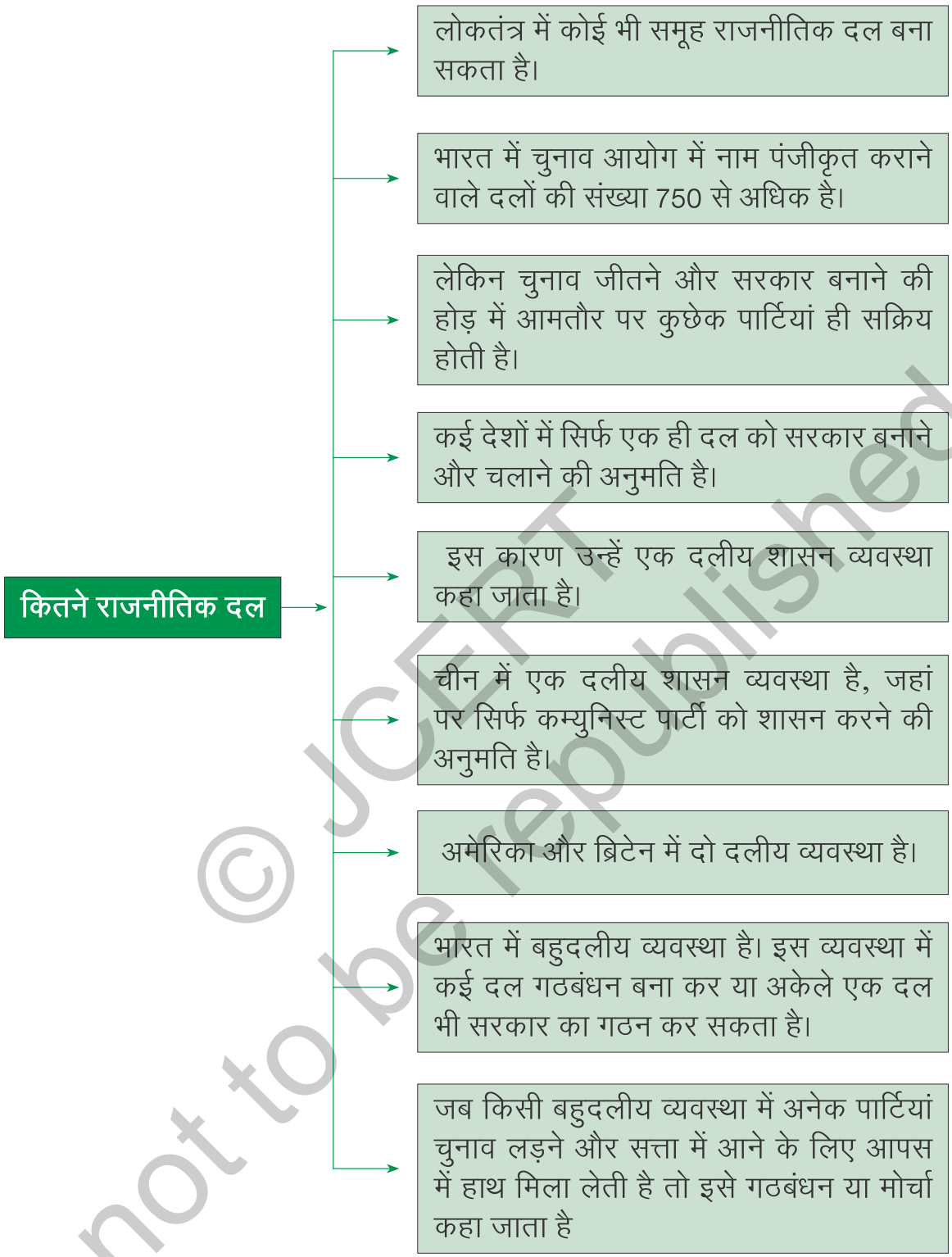

कितने राजनीतिक दल

- लोकतंत्र में कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है।
- भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से अधिक है।
- लेकिन चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछेक पार्टियां ही सक्रिय होती है।
- कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है।
- इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है।
- चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, जहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है।
- अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है।
- भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बना कर या अकेले एक दल भी सरकार का गठन कर सकता है।
- जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है

© JCERT not to be republished

राष्ट्रीय दल

- जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6 फीसदी या उससे अधिक मत हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो, उसे अपनी राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है

- अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6 प्रतिशत हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है।

- वर्तमान (2022) में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 है-

1. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी।

2. बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 ई में स्व. काशीराम के नेतृत्व में हुआ था।

3. भारतीय जन संघ का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ई में गठित किया था। बाद में इसे अटल बिहारी बाजपेयी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तन कर दिया।

4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (सी पी आई) का गठन 1925 ई में एम एन रॉय ने क्या था।

5. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया—मार्क्सिस्ट (सीपीआई—एम) पार्टी का गठन श्रीपद अमृत डांगे ने 1964 ई में किया था।

6. भारत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में ए.ओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी।

7. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर 1999 को शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक़ अनवर ने किया था।

8. नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन 2013 ई में पी ए संगमा ने किया था।

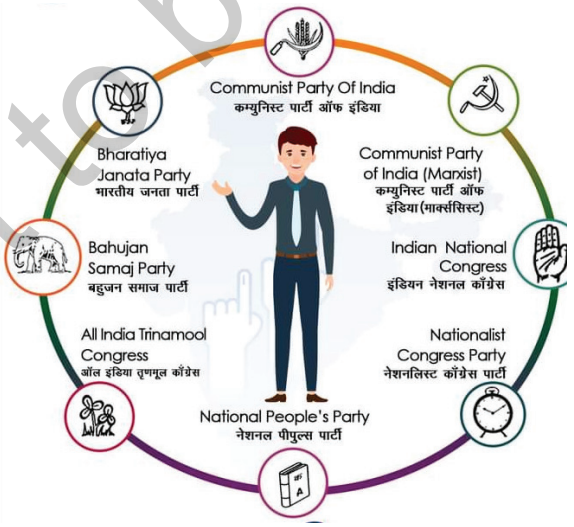

भारत के 8 राष्ट्रीय दल

© JCERT not to be republished

राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां

- पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक तालमेल अथवा पारदर्शिता का न होना।
- दूसरी चुनौती है वंशवाद का होना जिससे अनुभवहीन लोग भी ताकत वाले पदों तक पहुंच जाते हैं।
- पैसा और ताकत के बल पर अपराधिक तत्वों का दलों में घुसपैठ।
- पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति का होना।थोड़े से नेता ही हर दल में आते जाते रहते हैं नया चेहरा को विकल्प ही नहीं मिल पाता है।

दलों को कैसे सुधारा जा सकता है?

- विधायकों और सांसदों को दलबदल करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया।
- उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया।
- राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दल महिलाओं को एक तिहाई जरूर टिकट दें। और दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए आम लोगों द्वारा चिट्ठियां लिख कर प्रचार कर और आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जाना चाहिए।

© JCERT not to be republished

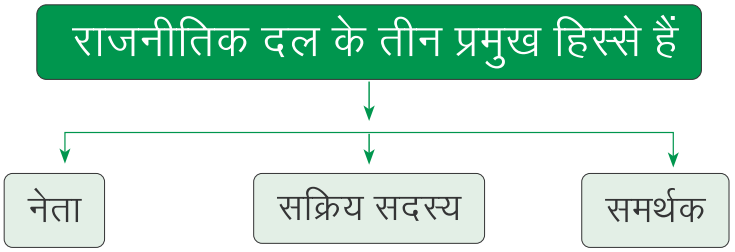

स्मरणीय तथ्य

1. विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दलबदल कहलाता है।

2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया था। 1964 में इस दल से अलग होकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ।

3. किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके सही होने के बारे में शपथ उठाता है इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। यह शपथ पत्र कहलाता है।

© JCERT not to be republished

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है?

   a. राष्ट्रपति

   b. प्रधानमंत्री

   c. चुनाव आयोग

   d. मुख्यमंत्री

2. भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है?

   a. एक दलीय व्यवस्था

   b. दो दलीय व्यवस्था

   c. बहुदलीय व्यवस्था।

   d. इनमें से कोई नहीं

3. भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था?

   a. 1885 में, ए ओ ह्यूम

   b. 1855 में, दादा भाई नौरोजी

   c. 1825 में, एम एन रॉय

   d. 1980 में, अटल बिहारी बाजपेई

4. भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था?

   a. बहुजन समाज पार्टी

   b. भारतीय जनसंघ

   d. इनमें से कोई नहीं

   c. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया

© JCERT not to be republished

5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (C.P.I.) का गठन किसने किया था?

   a. एम एन रॉय

   b. ए ओ ह्यूम

   c. शरद पवार

   c. महात्मा गांधी

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. राजनीतिक दल का क्या अर्थ है?

7. वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है किन्हीं तीन का नाम बताएं।

8. भारत के किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता किस प्रकार मिलता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें।

10. राजनीतिक दलों की चुनौतियों का वर्णन करें।

© JCERT not to be republished